

## MAHAYOGI GURU GORAKHNATH AYUSH UNIVERSITY

## Bhatahat, Gorakhpur Uttar Pradesh, India

Ref	सं0 / AULA040 / MGGAU / 2024—2025 /	Date:
	—: सम्बद्धता आदेश :—	

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत असाधारण गजट संख्या—420 / 79—वि—1—20—1(क)—8—2020 लखनऊ दिनांक—12.03.2020 एवं संशोधित असाधारण गजट संख्या—348 / 79—वि0—1—21—1—क—3—21 दिनांक—05.03. 2021 द्वारा निर्गत महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर के अधिनियम—2021 के अध्याय—2 की धारा—5 (घ) व अध्याय—5 की धारा—28 के क्रम में कालेज कोड—AULA040 मेजर एस.डी. सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पीटल, बैकुण्ठपुरी, बेवार रोड, फतेहगढ़, फरूखाबाद द्वारा सम्बद्धता हेतु किये गये आनलाइन आवेदन, विगत 04 वर्षों से निरन्तर प्राप्त मान्यता, विश्वविद्यालय से प्राप्त सम्बद्धता एवं कालेज के प्रबन्धक व प्रधानाचार्य द्वारा प्रस्तुत नोटराइण्ड शपथ पत्र दिनाक—03.01.2025 के आधार पर मां। कुलपति जी के आदेशानुसार मां। कार्य परिषद के सहमति की प्रत्याशा में निम्नलिखित पाठ्यक्रम के संचालनार्थ सत्र 2025—2026 हेतु सशर्त अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किया जाता है—

 क्र0
 पाठ्यक्रम का नाम
 सीटो की संख्या

 1
 बी० ए० एम० एस०
 100 सीट

 2
 एम०दी० / एम०एस०
 12 सीट

 1.स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र—06 सीट
 2.शल्य तंत्र
 -06 सीट

सम्बद्धता की शर्ते-

- 1. संस्था / महाविद्यालय द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा रागय पर दिये पये गानवों / निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्धारित सीट पर ही व प्रवेश अनुमति के बिना महाविद्यालय में प्रवेश नहीं किया जायेगा।
- 2. संस्था, / महाविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश / विश्वविद्यालय के संविधिक निकाय के निर्मत आदेशों / निर्देशों का विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं उत्तर प्रदेश शासन / विश्वविद्यालय द्वारा निर्मत परिनियमों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा।
- 3. रांखा/गहाविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश शारान द्वारा निर्धारित कीस की धनराशि ही छात्रों से लिया जायेगा तथा आयुष महाविद्यालय में प्रवेश के माध्यम/विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सनिश्चित किया जायेगा।
- 4. संस्था द्वारा सत्र 2025—2026 में आवेदित सीटों की सम्बद्धता प्राप्त होने के उपरान्त यदि एन0सी0आई0 एस0एम0 नई दिल्ली द्वारा सत्र 2025—2026 में सीटों की कमी की जाती है तो काउंसिलिंग के माध्यम से उतनी ही सीटों पर छात्रों का प्रवेश लिया जायेगा अथवा यदि सीटों में यदि बढ़ोत्तरी की जाती है तो विश्वविद्यालय से बढ़ी हुई सीटों की सम्बद्धता प्राप्त करने के उपरान्त ही काउंसिलिंग के माध्यम से बढ़ी हुई सीटों पर छात्रों का प्रवेश लिया जायेगा।
- 5. संस्था को एन0सी0आई0एस0एम0 नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त होने के पूर्व यदि निर्धारित मानक में किसी कारणवश कमी होती है तो तीन दिवस के अन्दर कुलसनिव को सूचित किया जायेगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा कालेज का निरीक्षण कभी भी कराया जा सकता है।
- 6. एन०सी०आई०एस०एम० नई दिल्ली द्वारा किसी कारणवश यदि संस्था को मान्यता नही प्रदान किया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्मत सन् 2025–2026 का सम्बद्धता आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा सीटें कम किये जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया सत्र 2025–2026 का सम्बद्धता आदेश एन०सी०आई०एस०एम० नई दिल्ली से प्राप्त सीटों की मान्यता तक मान्य होगा।

(अजीत कुमार जायसवाल) कुलसचिव

दिनांक:- 04/02/2025

1. सचिव, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

- 2. अध्यक्ष, चिकित्सा मूल्याकन एव रोटेग बोर्ड भारतीय चिकित्सा पद्धित राष्ट्रीय आयोग, प्लाट न0–टो–19 प्रथम व द्वितीय तल, ब्लाक–4 धन्वन्तरी भवन, रोड नं0–66, पंजाबी बाग (पश्चिम) नई दिल्ली 110026
- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल / कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4. प्रमुख सचिव, आयुष विभाग उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- निदेशक, आयुर्वेदिक सेवाएँ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6. निदेशक, आयुर्वेद (पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

7. परीक्षा नियंत्रक, महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर।

प्रधानाचार्य / संचालक, मेजर एस.डी. सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पीटल, बैकुण्ठपुरी, बेवार रोड, फतेहगढ़, फरूखाबाद।

9. निजी सचिव, मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

(अजीत कुमार जायसवाल) कुलसचिव